अधिकारी

...यालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

तारीख रजू.........................

...ल नं. 2/2237/2021

भरतलाल बनाम ईमरती वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्ष को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 न0 1853, 1854, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1877, 1887, वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थित वनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 14.12.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 14.12.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	

6/4/23	अनुवाद पंजीयन एल०/P.C वाइन ... [illegible] कार्यवाही दिनांक 06/7/23 को पेश हो।
6/7/23	पत्रावली उपस्थित [illegible] उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 17/11/4 की मालना में [illegible] दिनांक 13/7/23 खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
13/7/23	पत्रावली उपस्थित। पत्रावली पर बहस पत्रावली सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 21/7/23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
21/7/23	पत्रावली उपस्थित अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वारिसान साबित होने के कारण स्वीकार योग्य पाया जाता है अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वारिसान स्वीकार कर नियम प्रकरण के लिखाया जाकर मि० जिला मण पत्रावली में मय हुजाइ होकर नम्बर पर चढ़ाने के बाद तत्काल जिला भाये लेज मखावली दाखिल उपखण्डीय अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्ज आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 02/237/2021

वउनवान

1. भरतलाल पुत्र बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर

------ सायल

बनाम

1. ईमरती पुत्री बोदन पत्नी विशनलाल जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर हालवासी नारनौल कला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
2. लाली पुत्री बोदन पत्नी दौलतराम जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर हालवासी कीरपुर खेडा तहसील रेणी जिला अलवर
3. सब रजिस्ट्रार भनोखर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री भागचन्द जैन' – अधिवक्ता सायल की ओर से

श्री सुगरसिंह एडवोकेट – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1–2

आदेश दिनांक 21/7/23

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1853 रकवा 0.23 हे. 1854 रकवा 0.53 हे. 1859 रकवा 0.76 हे. 1860 रकवा 0.40 हे. 1861 रकवा 0.06 हे. 1862 रकवा 0.13 हे. 1863 रकवा 0.75 हे. 1864 रकवा 0.73 हे. 1877 रकवा 0.23 हे. किता 9 रकवा 3.46 हे. व खसरा नम्बर 1887 रकवा 0.58 हे. ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में स्थित है। सायल ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। सायल एंव गैरसायल सं0 1–2 व प्रतिवादी सं0 4 ला० 8 एक ही परिवार के सदस्य है। गल्या मीना के तीन लडके क्रमशः बोदन, बंशी व रामजीलाल है। जिनमें से बोदन व बंशी फौत हो गये। जिस बोदन के तीन लडके धोडया, भरतलाल, विश्राम व दो लडकियां ईमरती व लाली है तथा बंशी के दो लडके पप्पू व रामहेत है। रामजीलाल पुत्र गमल्या मीना का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा था जो रामजीलाल स्वय का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी सं0 7 रामपति के वेचान कर कब्जा दे दिया। उस वयनामा के आधार पर रामपति के हक में इन्तकल स्वीकार होकर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गई जव बोदन मरा तव उसका विरासत इन्तकाल संख्या 3603 दिनांक 22.09.2020 वो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

इन्तकाल संख्या 3780 दिनांक 12.07.2021 को गलत रूप से सायल व दो लडके गैरसायल सं0 1–2 के व तरतीवी प्रतिवादनी संख्या 4–5 के हक में भी 1/15 अनुसार तस्दीक कर दिया गया बंशी का 1/3 हिस्सा था जो बंशी के मरने क वाद उसके दो लडके तरतीवी प्रतिवादी सं0 7–8 के हक मं दर्ज वो तस्दीक हो गया। रामजीलाल ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी सं0 7 को वेचान कर दिय जिस पर तरतीवी प्रतिवादी सं0 7 का कब्जा चला आ रहा है। पक्षकारान मीना जाति से है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता मीना जाति में उत्तराधिकार पुराने हिन्दु लॉ से गर्वन होते है। जिस अनुसार मीना जाति में पिता के मरने के वाद उसकी विरासत उसके लडको को प्राप्त होती है। अर्थात मेल पुरूष होने पर फिमेल को कोई अधिकार नहीं मिलता है जिस अनुसार बोदन की विवादित आराजी के हिस्से में जरिये विरासत प्रतिवादीगण (लडकियों) को कोई हक व अधिकार नहीं मिलते है बोदन की कृषि भूमि में जरिये विरासत सायल वो प्रतिवादी सं0 4–5 को ही विरासत में अधिकार मिलता है। बोदन के फौत हो जाने पर उसके विरासत इन्तकाल में गैरसायल सं0 1–2 का नाम खिलाफ कानून दर्ज किया गया है क्योंकि बोदन की कृषि भूमि में गैरसायल सं0 1–2 को कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होते। बोदन का इन्तकाल केवल सायल व प्रतिवादी सं0 4–5 के हक में 1/3 भाग अनुसार दर्ज व तस्दीक होना चाहिए था। जो इन्तकाल गलत व शून्य करार दिये जाने योग्य है। सायल का समस्त हिस्सा विवादित आराजी 1/9 हिस्सा है जो विरासत में बोदन के फौत हो जाने पर प्राप्त हुआ है। सायल विवादित आराजी के 1/9 हिस्से पर काविज रहकर काश्त कर रहा है लेकिन गैरसायल सं0 1–2 हाल गलत इन्द्रजात के अधार पर सायल के 1/9 हिस्से पर कार्य काश्तकारी करने में रूकावट पैदा करती है वो दीगर लोगों को रहन वय करने पर उतारू हैं। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गई तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायला सं0 1–2 की ओर से श्री सुगरसिंह एडवोकेट ने बास्ते पैरवी मुकदमा वकालतनामा पेश किया व जवाव को समय चाहा। अधिवक्ता गैरसायल सं0 1–2 जवाव पेश नही करना चाहते।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल इन्तकाल संख्या 3780, 3603 व नकल जमाबन्दी हाल वाके ग्राम भनोखर की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि सायल एंव गैरसायलान मीना जाति के सदस्य है मीना जाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू न होकर पुराने हिन्दु लॉ लागू होते है जिसके तहत पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार नहीं मिलता केवल पुत्रों को अधिकार मिलता है। लेकिन बोदन की जमीन का इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों ने लडके व लडकियों का समान हिस्सा दर्ज कर दिया जिसके तहत गैरसायला सं0 1–2 का नाम भी विरासत इन्तकाल में खोल दिया जवकि केवल लडकों (सायल व प्रतिवादी सं0 4–5) के नाम ही विरासत इन्तकाल खोलना चाहिए था। जवकि गैरसायला सं0 1–2 अपनी अपनी ससुरालों में रहती है जिनका विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है समस्त आराजी में सायल का 1/9 हिस्सा है लेकिन गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायला सं0 1–2 विवादित आराजी पर सायल के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करती है व रहन व करने की धमकी देती है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। अधिवक्ता सायल ने अपने कथनों की पुष्टि में कानूनी नजीर 2021(1) आर आर टी 705 705 से 708 पेज 1111 से 1115 व आर आर डी 2007 470 से 481 व आर आर टी 2023 (1) 137 से 141 की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड छाया प्रति कानूनी नजीरों का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल व इन्तकालों की नकल पेश की हैं। नकल इन्तकालों के अवलोकन से यह सही है कि मृतक बोदन के विरासत इन्तकाल में गैरसायला सं0 1–2 का नाम दर्ज किया गया है उसी अनुसार गैरसायल सं0 1–2 का नाम हाल जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है। विद्वान अधिवक्ता सायल का कथन है कि मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में लडकियों को हिस्सा नहीं मिलता। मीना जाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता बल्कि पुराने हिन्दु लॉ से गर्वन होते है। जिन कथनों की पुष्टि में सायल ने कानूनी दृष्टांत की प्रतियां पेश की है आर आर टी 2021 (1) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकदमा वउनवान नेनू वगैरा बनाम टीकम वगैरा में यह प्रतिपादित किया है कि अनु0 जनजाति के व्यक्तियों पर 2(2) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। बल्कि अनु0 जनजाति के व्यक्ति की सम्पत्ति/भूमि की विरसत उक्त अधिनियम के लागू से पूर्व से प्रचलित विधि से अथवा क्षैत्र विशेष को जनजाति विशेष में प्रचलित रूढि के अनुसार प्रशाासित होगी। मीना जनजाति में उनके वैयक्तिक कानून प्रभावी होने से

पिता के स्वर्गवास उपरान्त उसकी विरासत पुत्रों में न्यागत होगी पुत्रियों में नहीं। जो प्रकरण पर पूरी तरह चस्पा होती है। यदि बोदन की जमीन में गैरसायल सं0 1–2 का विरासत इन्तकाल सही दर्ज हुआ है तो उसको सावित करने का भार गैरसायल सं 1–2 पर था लेकिन गैरसायल सं0 1–2 ने ना तो जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया और ना अधिक्ता सायल के कथनों व कानूनी नजीर का खण्डन किया। इस प्रकार अधिवक्ता सायल द्वारा प्रस्तत कानूनी नजीर अखण्डित है। विवादित आराजी में गैरसायला सं0 1–2 का नाम दर्ज है यदि इन्हें पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायला सं0 1–2 पैत्रिक आराजी में सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकती है रहन वय कर सकती है जिससे सायल को अपार हानि व क्षति होना संभव है। विवादित आराजी पर गैरसायल सं0 1–2 का कब्जा नहीं है विरासत इन्तकाल में गैरसायला सं0 1–2 का नाम गलत दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार किया जाता है तथ गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1853 रकवा 0.23 हे. 1854 रकवा 0.53 हे. 1859 रकवा 0.76 हे. 1860 रकवा 0.40 हे. 1861 रकवा 0.06 हे. 1862 रकवा 0.13 हे. 1863 रकवा 0.75 हे. 1864 रकवा 0.73 हे. 1877 रकवा 0.23 हे. किता 9 रकवा 3.46 हे. व खसरा नम्बर 1887 रकवा 0.58 हे. ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में सायल के 1/9 हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। रहन वय ना करे तथा प्रतिवादी सं 2 उक्त आराजी वावत किसी तरह का वयनामा रहननामा आदि दस्तावेज तस्दीक व पंजीवद्व ना करे। जवरनतथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 28.10.2021 मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21/7/2 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)